No. 1/3/2008-IR Government of India Ministry of Personnel, P.G. and Pensions Department of Personnel & Training

New Delhi, Dated the 25th

OFFICE MEMORANDUM

Subject

Guidelines for the Officers designated as first appellate authority under the RTI Act, 2005.

The undersigned is directed to say that the Central Public Information Officer (CPIO) of a public authority is responsible to supply correct and complete information to an information seeker under the Right to Information Act, 2005 within the specified time. It is possible that a CPIO may not act as per provisions of the Act or an applicant may not otherwise be satisfied with the decision of the CPIO. The Act contains provision of two appeals to tide over such situations. While the first appeal lies within the public authority itself, the second appeal lies with the Central Information Commission. The Central Information Commission (Appeal Procedure) Rules, 2005 govern the procedure for deciding appeals by the Commission. The First Appellate Authority is, however, required to dispose off the appeals received by him in the light of the provisions of the Act and keeping in view the principles of natural justice. A Guide has been prepared for the First Appellate Authorities, a copy of which is enclosed as Annexure. It is expected that it would help them perform their

All the Ministries / Departments etc. are requested to bring the contents 2. of the Guide to the notice of all concerned.

> (K.G. Verma) Director

Tel: 23092158.

To

All Ministries / Departments of Govt. of India 1.

Union Public Service Commission / Lok Sabha Secretariat / 2. Rajya Sabha Secretariat / Cabinet Secretariat / Central Vigilance Commission / President's Secretariat / Vice-

- President's Secretariat / Prime Minister's Office / Planning Commission
- 3. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
- 4. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
- 5. Central Information Commission/State Information Commissions.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

The guidelines contained in the Annexure apply mutatis mutandis to the First Appellate Authorities under the States. The State Governments may like to issue similar guidelines for their First Appellate Authorities.

Guide for the First Appellate Authorities

It is the responsibility of the Central Public Information Officer (CPIO) of a public authority to supply correct and complete information within the specified time to any person seeking information under the RTI Act, 2005. There are possibilities that a CPIO may not act as per provisions of the Act or an applicant may not otherwise be satisfied with the decision of the CPIO. The Act contains provision of two appeals to tide over such situations. The first appeal lies within the public authority itself which is made to an officer designated as the First Appellate Authority by the concerned public authority. The First Appellate Authority happens to be an officer senior in rank to the CPIO. The second appeal lies with the Central Information Commission. The Central Information Commission (Appeal Procedure) Rules, 2005 govern the procedure for deciding appeals by the Commission. The Guidelines contained in this document are meant for the First Appellate Authorities.

2. In order to perform his/her duties effectively, the Appellate Authority should study the Act carefully and understand its provisions correctly. This document explains some of the important aspects of the Act which a First Appellate Authority should, in particular, be conversant with.

What is Information

3. Information is any material in any form. It includes records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form. It also includes information relating to any private body which can be accessed by the public authority under any law for the time being in force.

Right to Information under the Act

- 4. A citizen has a right to seek such information from a public authority which is held by the public authority or which is held under its control. This right includes inspection of work, documents and records; taking notes, extracts or certified copies of documents or records; and taking certified samples of material held by the public authority or held under the control of the public authority.
- 5. The Act gives the citizens a right to information at par with the Members of Parliament and the Members of State Legislatures. According to the Act, the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature, shall not be denied to any person.
- 6. A citizen has a right to obtain an information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through print-outs provided such information is already stored in a computer or in any other device from which the information may be transferred to diskettes etc.
- 7. The information to the applicant should ordinarily be provided in the form in which it is sought. However, if the supply of information sought in a particular form would disproportionately divert the resources of the public authority or may cause harm to the safety or preservation of the records, supply of information in that form may be denied.
- 8. The Act gives the right to information only to the citizens of India. It does not make provision for giving information to Corporations, Associations, Companies etc. which are legal entities/persons, but not citizens. However, if an application is made by an employee or office-bearer of any Corporation, Association, Company, NGO etc. indicating his name and such employee/office bearer is a citizen of India, information may be supplied to him/her. In such cases, it would be presumed that a citizen has sought information at the address of the Corporation etc.

9. Only such information is required to be supplied under the Act which already exists and is held by the public authority or held under the control of the public authority. It is beyond the scope of the Act to create information; or to interpret information; or to solve the problems raised by the applicants; or to furnish replies to hypothetical questions.

Information Exempted From Disclosure

- 10. Sub-section (1) of section 8 and section 9 of the Act enumerate the categories of information which is exempt from disclosure. Sub-section (2) of section 8, however, provides that information exempted under sub-section (1) or exempted under the Official Secrets Act, 1923 can be disclosed if public interest in disclosure overweighs the harm to the protected interest. Further, sub-section (3) of section 8 provides that information exempt from disclosure under sub-section (1), except as provided in clauses (a), (c) and (i) thereof, would cease to be exempted after 20 years from the date of occurrence of the related event etc.
- authorities to retain records for indefinite period. The records should be retained as per the record retention schedule applicable to the concerned public authority. Information generated in a file may survive in the form of an OM or a letter or in any other form even after destruction of the file/record. The Act requires furnishing of information so available after the lapse of 20 years even if such information was exempt from disclosure under sub-section(1) of Section 8. It means that the information which, in normal course, is exempt from disclosure under sub-section(1) of Section 8 of the Act, would cease to be exempted if 20 years have lapsed after occurrence of the incident to which the information relates. However, the following types of information would continue to be exempt and there would be no obligation, even after lapse of 20 years, to give any citizen-
 - (i) information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or

- economic interest of the State, relation with foreign state or lead to incitement of an offence;
- (ii) information the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or State Legislature; or
- (iii) Cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other Officers subject to the conditions given in proviso to clause (i) of sub-section(1) of Section 8 of the Act.

Right to Information Vis-a-Vis Other Acts

12. The RTI Act has over-riding effect vis-à-vis other laws inasmuch as the provisions of the RTI Act would have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923, and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than the RTI Act.

Fee for Seeking Information

- 13. An applicant, along with his application, is required to pay a sum of Rs.10/- as application fee in cash or by way of a demand draft or a banker's cheque or an Indian Postal Order payable to the Accounts Officer of the public authority. The applicant may also have to pay additional fee, as prescribed by the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 for supply of information as given below:
- (a) rupees two (Rs. 2/-) for each page (in A-4 or A-3 size paper) created or copied;
- (b) actual charge or cost price of a copy in larger size paper;
- (e) actual cost or price for samples or models;
- (d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five (Rs.5/-) for each subsequent hour (or fraction thereof);

- (e) for information provided in diskette or floppy rupees fifty (Rs.50/-) per diskette or floppy; and
- (f) for information provided in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication.
- 14. If the applicant belongs to 'below poverty line (BPL)' category, he/she is not required to pay any fee. However, he/she should submit a proof in support of his/her claim to belong to the below poverty line. The application not accompanied by the prescribed fee of Rs.10/- or proof of the applicant's belonging to below poverty line, as the case may be, shall not be a valid application under the Act and, therefore, does not entitle the applicant to get information.
- 15. It may be noted that where the CPIO decides that the information shall be provided on payment of fee in addition to the application fee, the CPIO is required, inter-alia, to inform the applicant:
 - (i) the details of further fees required to be paid;
 - (ii) the calculations made to arrive at the amount of fees asked for;

Contents and Format of Application

16. An applicant making request for information is not required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him. Also, the Act or the Rules do not prescribe any format of application for seeking information. Therefore, the applicant should not be asked to give justification for seeking information or to give details of his job etc. or to submit application in any particular form.

Transfer of Application

17. If the subject matter of the application concerns any other public authority, it should be transferred to that public authority. If only a part of the application concerns the other public authority, a copy of the application may be sent to that public authority, clearly specifying the part which relates to that

public authority. While transferring the application or sending a copy thereof, the concerned public authority should be informed that the application fee has been received. The applicant should also be informed about the transfer of his application and the particulars of the public authority to whom the application or a copy thereof has been sent.

- 18. Transfer of application or part thereof, as the case may be, should be made as soon as possible and in any case within five days from the date of receipt of the application. If a CPIO transfers an application after five days from the receipt of the application, he would be responsible for delay in disposing of the application to the extent of number of days which he takes in transferring the application beyond 5 days.
- 19. The CPIO of the public authority to whom the application is transferred, should not refuse acceptance of transfer of the application on the ground that it was not transferred to him within 5 days.
- 20. A public authority may designate as many CPIOs for it, as it may deem necessary. It is possible that in a public authority with more than one CPIO, an application is received by the CPIO other than the concerned CPIO. In such a case, the CPIO receiving the application should transfer it to the concerned CPIO immediately, preferably the same day. Time period of five days for transfer of the application applies only when the application is transferred from one public authority to another public authority and not for transfer from one CPIO to another in the same public authority.

Supply of Information

21. The answering CPIO should check whether the information sought or a part thereof is exempt from disclosure under section 8 or Section 9 of the Act. Request in respect of the part of the application which is so exempt may be rejected and rest of the information should be provided immediately or after receipt of additional fees, as the case may be.

Supply of Part Information by Severance

22. Where a request is received for access to information which is exempt from disclosure but a part of which is not exempt and such part can be severed in such a way that the severed part does not contain exempt information then, access to that part of the information/record may be provided to the applicant. Where access is granted to a part of the record in such a way, the Central Public Information Officer should inform the applicant that the information asked for is exempt from disclosure and that only part of the record is being provided, after severance, which is not exempt from disclosure. While doing so, he should give the reasons for the decision, including any findings on any material question of fact, referring to the material on which those findings were based. The CPIO should take the approval of appropriate authority before supply of information in such a case and should inform the name and designation of the person giving the decision to the applicant also.

Time Period for Supply of Information

- 23. The CPIO should supply the information within thirty days of the receipt of the request. Where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same should be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.
- 24. Every public authority is required to designate an officer at each sub-divisional level or other sub-district level as a Central Assistant Public Information Officer (CPAIO) to receive the applications or appeals under the Act for forwarding the same to the Central Public Information Officer or the first Appellate Authority or the Central Information Commission, as the case may be. If request for information is received through the CAPIO, the information may be provided within 35 days of receipt of application by the CAPIO in normal course and 48 hours plus 5 days in case the information sought concerns the life or liberty of a person.

- 25. In case of an application transferred from one public authority to another public authority reply should be provided by the concerned public authority within 30 days of the receipt of the application by that public authority in normal course and within 48 hours in case the information sought concerns the life or liberty of a person.
- 26. The Central Public Information Officers of the intelligence and security organisations specified in the Second Schedule of the Act may receive applications seeking information pertaining to allegations of corruption and human rights violations. Information in respect of allegations of violation of human rights, which is provided only after the approval of the Central Information Commission, should be provided within forty-five days from the date of the receipt of request. Time limit prescribed for supplying information in regard to allegations of corruption is the same as in other cases.
- 27. Where the applicant is asked to pay additional fee, the period intervening between the dispatch of the intimation about payment of fee and the payment of fee by the applicant shall be excluded for the purpose of calculating the period of reply. The following table shows the maximum time which may be taken to dispose off the applications in different situations:

Sr. No.	Situation	Time limit for disposing off applications
1.	Supply of information in normal course.	30 days
2.	Supply of information if it concerns the life or liberty of a person	48 hours
3.	Supply of information if the application is received through CAPIO.	05 days shall be added to the time period indicated at Sr. No. 1 and 2.
4.	Supply of information if application/request is received after transfer from another public authority: (a) In normal course	(a) Within 30 days of the receipt of the application by the concerned public

5	(b) In case the information concerns the life or liberty of a person.	authority. (b) Within 48 hours of receipt of the application by the concerned public authority.
5.	Supply of information by organizations specified in the Second Schedule: (a) If information relates to allegations of violation of human rights. (b) In case information relates to allegations of corruption.	(a) 45 days from the receipt of application.(b) Within 30 days of the
6.	Supply of information if it relates to third party and the third party has treated it as confidential.	following the procedure given in para 32 to 36 of
7.	Supply of information where the applicant is asked to pay additional fee.	these guidelines. The period intervening between informing the applicant about additional fee and the payment of fee by the applicant shall be excluded for calculating the period of reply.

28. If the CPIO fails to give decision on the request for information within the prescribed period, the Central Public Information Officer shall be deemed to have refused the request. It is pertinent to note that if a public authority fails to comply with the specified time limit, the information to the concerned applicant would have to be provided free of charge.

First Appeal

29. The information sought by an applicant should either be supplied to him or his application should be rejected within the time prescribed by the Act. If additional fee need be charged from the applicant, communication in this regard should be sent to him within the time limit prescribed for sending information. If the applicant does not receive information or decision about rejection of request or communication about payment of additional fee within the specified

time, he can make an appeal to the First Appellate Authority. Appeal can also be made if the applicant is aggrieved by the decision of the CPIO regarding supply of information or the quantum of fee decided by the CPIO.

Appeal in relation to Third Party Information

- 30. Third party in relation to the Act means a person other than the citizen who has made request for information. Any public authority other than the public authority to whom the request has been made shall also be included in the definition of third party.
- 31. It may be noted that information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, is exempt from disclosure. Section 8(1)(d) requires that such information should not be disclosed unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information.
- 32. If an applicant seeks any information which relates to or has been supplied by a third party and that third party has treated that information as confidential, the Central Public Information Officer should consider whether the information should be disclosed or not. The guiding principle in such cases should be that except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party. However, procedure as given below should be followed before disclosing such information. It may be noted that this procedure need be followed only when the third party has treated the information as confidential.
- 33. If the CPIO intends to disclose the information, he should within five days from the receipt of the application, give a written notice to the third party that the information has been sought by the applicant under the RTI Act and that he intends to disclose the information. He should request the third party to make a submission in writing or orally, regarding whether the information

should be disclosed. The third party should be given a time of ten days, from the date of receipt of the notice by him, to make representation against the proposed disclosure, if any.

- 34. The Central Public Information Officer should make a decision regarding disclosure of the information keeping in view the submission of the third party. Such a decision should be taken within forty days from the receipt of the request for information. After taking the decision, the CPIO should give a notice of his decision to the third party in writing. The notice given to the third party should include a statement that the third party is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision.
- 35. The third party can prefer an appeal to the First Appellate Authority against the decision made by the Central Public Information Officer within thirty days from the date of the receipt of notice. If not satisfied with the decision of the First Appellate Authority, the third party can prefer the second appeal to the Central Information Commission.
- 36. If an appeal has been filed by the third party against the decision of the CPIO to disclose the third party information, the information should not be disclosed till the appeal is decided.

Time Limit for Filing of First Appeal

37. The first appeal may be made within 30 days from the date of expiry of the prescribed period or from the receipt of communication from the CPIO. If the First Appellate Authority is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal, the appeal may be admitted after 30 days also.

Disposal of Appeal

J (1)

38. Deciding appeals under the RTI Act is a quasi-judicial function. It is, therefore, necessary that the appellate authority should see to it that the justice is not only done but it should also appear to have been done. In order to do so, the

order passed by the appellate authority should be a speaking order giving justification for the decision arrived at.

Time Limit for Disposal of Appeal

- 39. The appeal should be disposed off within 30 days of receipt of the appeal. In exception cases, the Appellate Authority may take 45 days for its disposal. However, in cases where disposal of appeal takes more than 30 days, the Appellate Authority should record in writing the reasons for such delay.
- 40. If an appellate authority comes to a conclusion that the appellant should be supplied information in addition to what has been supplied to him by the CPIO, he may either (i) pass an order directing the CPIO to give such information to the appellant; or (ii) he himself may give information to the appellant while disposing off the appeal. In the first case the appellate authority should ensure that the information ordered by him to be supplied is supplied to the appellant immediately. It would, however, be better if the appellate authority chooses the second course of action and he himself furnishes the information along with the order passed by him in the matter.
- 41. If, in any case, the CPIO does not implement the order passed by the appellate authority and the appellate authority feels that intervention of higher authority is required to get his order implemented, he should bring the matter to the notice of the officer in the public authority competent to take action against the CPIO. Such competent officer shall take necessary action so as to ensure implementation of the provisions of the RTI Act.

सं. 1/3/2008-आई.आर.

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निर्देश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी भी लोक प्राधिकरण के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सूचना माँगने वाले व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण सूचना प्रदानं करे । यह सम्भव है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य न करे अथवा आवेदनकर्ता उसके निर्णय से संतुष्ट न हो । ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अधिनियम में दो अपीलों का प्रावधान किया गया है । प्रथम अपील लोक प्राधिकरण के ही एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष और दूसरी अपील केन्द्रीय लोक सूचना आयोग के समक्ष होती है । आयोग के द्वारा अपीलों का निस्तारण केन्द्रीय लोक सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है । दूसरी और, प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलों का निपटान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करे । प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए एक गाइड तैयार की गई है जिसकी एक प्रति इस ज्ञापन के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न की गई है । आशा है कि यह गाइड उन्हें अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध होगी ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे गाइड की विषयवस्तु को सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के ध्यान में लाएँ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

दूरभाषः 23092158

सेवा में,

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सूचना आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
- 3. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
- 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
- 5. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।

प्रति प्रेषितः- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव । अनुबंध में समाहित दिशानिर्देश यथा आवश्यक परिवर्तनों के बाद राज्यों के प्रथम अपीलीय अधिकारियों पर भी लागू होते हैं । राज्य सरकारें अपने प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए भी ऐसे ही दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती हैं ।

<u>अनुबन्ध</u>

कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2008-आई॰आर॰

दिनांक : 25 - 4-2008.

प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

- 1. स्चना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्चना मांगने वाले किसी भी ट्यिक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण जानकारी भेजना लोक प्राधिकरण के केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी का दायित्व है। यह संभव है कि केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काम न करे अथवा आवेदक उसके निर्णय से संतुष्ट न हो। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अधिनियम में दो अपीलों का प्रावधान है। पहली अपील लोक प्राधिकरण के भीतर ही होती है, जो संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामोदिष्ट अधिकारी को की जाती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी रैंक में केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। दूसरी अपील केन्द्रीय स्चना आयोग में की जाती है। केन्द्रीय स्चना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2005 अपील पर आयोग द्वारा निर्णय की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इस दस्तावेज में निहित मार्गदर्शी सिद्धांत प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए हैं।
- 2. अपने कर्तव्य का प्रभावी रूप से निष्पादन करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी को चाहिए कि वह अधिनियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे और इसके प्रावधानों को भली-भांति समझे । इस दस्तावेज में अधिनियम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या की गई है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को विशेष रूप से मालूम होनी चाहिएँ ।

स्चना क्या है

3. किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री "सूचना" है । इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, जापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञित, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माइल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है । इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे लोक प्राधिकरण तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है ।

अधिनियम के अंतर्गत स्चना का अधिकार

- 4. नागरिकों को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण; दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्रास करना; सामग्री के प्रमाणित नम्ने लेना शामिल है।
- 5. अधिनियम नागरिकों को, संसद-सदस्यों और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के बराबर सूचना का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार ऐसी सूचना, जिसे संसद अथवा राज्य विधानमण्डल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।
- 6. नागरिकों को डिस्केट्स, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्त कि मांगी गई सूचना कम्प्यूटर में या अन्य किसी युक्ति में पहले से सुरक्षित है, जिससे उसे डिस्केट आदि में स्थानांतरित किया जा सके।
- 7. आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें वह मांगता है। तथापि, यदि किसी विशेष स्वरूप में माँगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकॉर्डों के परिरक्षण में कोई हानि की सम्भावना होती है, तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है।
- 8. अधिनियम के अंतर्गत स्चना का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है । अधिनियम में निगम, संघ, कम्पनी आदि को, जो वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अंतर्गत तो आते हैं, किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, को स्चना देने का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र दिया जाता है, जो भारत का नागरिक है, तो उसे स्चना दी जाएगी, बशर्त वह अपना नाम इंगित करे । ऐसे

मामले में, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना माँगी गई है।) ;

9. अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियन्त्रण में है । केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना; या सूचना की व्याख्या करना; या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना; या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है ।

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त स्चना

- 10. इस अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 9 में स्चना की ऐसी श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। फिर भी, धारा 8 की उप-धारा(2) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त अथवा शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत छूट प्राप्त स्चना का प्रकटीकरण किया जा सकता यदि प्रकटीकरण से, संरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा वृहतर लोक हित सधता हो। इसके अलावा धारा 8 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (झ) में उपबन्धित स्चना के सिवाय उस उप-धारा के अन्तर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त स्चना, सम्बद्ध घटना के घटित होने की तारिख के 20 वर्ष बाद प्रकटीकरण से मुक्त नहीं रहेगी।
- 11. स्मरणीय है कि अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार लोक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वे अभिलेखों को अनन्त काल तक सुरक्षित रखें। लोक प्राधिकरण को प्राधिकरण में लागू अभिलेख धारण अनुसूची के अनुसार ही अभिलेखों को संरक्षित रखना चाहिए। किसी फाइल में सृजित जानकारी फाइल/अभिलेख के नष्ट हो जाने के बाद भी कार्यालय जापन अथवा पत्र अथवा किसी भी अन्य रूप में मौजूद रह सकती है। अधिनियम के अनुसार यह अपेक्षित है कि धारा 8 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त होने के बावजूद भी, 20 वर्ष बाद इस प्रकार उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। अर्थ यह है कि ऐसी जानकारी जिसे सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है, जानकारी रो

संबंधित घटना के घटित होने के 20 वर्ष बाद ऐसी छूट से मुक्त हो जाएगी । तथापि, निम्निलिखित प्रकार की जानकारी के लिए प्रकटन से छूट जारी रहेगी और 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी जानकारी को किसी नागरिक को देना बाध्यकारी नहीं होगा :-

- (i) ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेश के साथ संबंध प्रतिकृत रूप से प्रभावित होती हो अथवा कोई अपराध भड़कता हो ;
- (ii) ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से संसद अथवा राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार की अवहेलना होती हो ; अथवा
- (iii) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के प्रावधान में दी गई शतों के अधीन मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श सहित मंत्रिमण्डलीय दस्तावेज ।

सूचना का अधिकार बनाम अन्य अधिनियम

12. सूचना का अधिकार अधिनियम का अन्य विधियों की तुलना में अधिभावी प्रभाव है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 और तत्काल प्रभावी किसी अन्य कानून में ऐसे प्रावधान, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है, की उपस्थित की स्थित में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

स्चना माँगने का शुल्क

13. आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि वह अपने आवेदन पत्र के साथ सूचना माँगने का निर्धारित शुल्क 10/-रुपए (दस रुपए) नकद अथवा मांग पत्र अथवा बैंकर चैंक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम से भेजें। सूचना की

आपूर्ति के लिए सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान भी किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

- (क) सृजित अथवा फोटोकॉपी किए हुए प्रत्येक पेज (ए 4 अथवा ए 3 आकार)कागज के लिए दो रुपए (2/- रुपए) ;
- (ख) बड़े आकार के कागज में कापी का वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत ;
- (ग) नम्नों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत ;
- (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके बाद प्रत्येक घण्टे (या उसके खण्ड) के लिए पाँच रूपए का शुल्क (5/-रुपए) ;
- (ड.) डिस्केट अथवा फ्लॉपी में सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक डिस्केट अथवा फ्लॉपी पचास रुपए (50/-रुपए)
- (च) मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य अथवा प्रकाशन के उद्धरणों की फोटोकापी के दो रुपए प्रति पृष्ठ ।
- 14. गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनकर्ताओं को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उसे गरीबी रेखा के नीचे के स्तर का होने के दावे का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित 10/-रुपए के शुल्क अथवा आवेदनकर्ता के गरीबी रेखा के नीचे वाला होने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, नहीं होने पर आवेदन को अधिनियम के अंतर्गत वैध नहीं माना जाएगा और इसीलिए, ऐसे आवेदक को अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का हक नहीं होगा।
- 15. यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी यह निर्णय लेता है कि सूचना आवेदन शुल्क के अतिरिक्त और शुल्क के भुगतान पर सूचना दी जाएगी तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदक को इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना भी दे :-

- (i) अन्य शुल्क के ब्यौरे, जिसका भुगतान अपेक्षित है ;
- (ii) मांगी गई शुल्क की राशि के परिकलन का ब्यौरा ।

आवेदन की विषय-वस्तु और प्रपत्र

16. आवेदक को सूचना माँगने के लिए कोई कारण अथवा उसे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक विवरण के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा देना आवश्यक नहीं है। साथ ही, अधिनियम अथवा नियमों में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन का कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। इसलिए, आवेदक से सूचना का निवेदन करने का कारण बताने अथवा अपने रोजगार इत्यादि का ब्यौरा देने अथवा किसी विशेष स्वरूप में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

आवेदन का हस्तांतरण

17. यदि आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाणपत्र संलग्न है, तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को देखना चाहिए कि क्या आवेदन की विषय-वस्तु अथवा उसका कोई खण्ड किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित तो नहीं है । यदि आवेदन की विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित हो, तो उक्त आवेदन को संबद्ध लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए । यदि आवेदन आंशिक रूप से ही अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो उस लोक प्राधिकरण से संबंधित खण्ड को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन की एक प्रति उस लोक प्राधिकरण को भेज देनी चाहिए । आवेदन का हस्तांतरण करते समय अथवा उसकी प्रति भेजते समय संबंधित लोक प्राधिकरण को स्चित किया जाना चाहिए कि आवेदन शुल्क प्राप्त कर लिया गया है । आवेदक को उसके आवेदन के स्थानांतरण के बारे में तथा उस लोक प्राधिकरण, जिसको उनका आवेदन अथवा उसकी एक प्रति भेजी गई है, के ब्यौरों के बारे में भी सूचित कर देना चाहिए ।

- 18. आवेदन अथवा उसके भाग का हस्तांतरण जितना जल्दी संभव हो, कर देना चाहिए । यह ध्यान रखा जाए कि हस्तांतरण करने में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन से अधिक का समय न लगे । यदि कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी किसी आवेदन की प्राप्ति के पांच दिन के बाद उस आवेदन को स्थानांतरित करता है तो उस आवेदन के निपटान में होने वाले विलम्ब में से इतने समय के लिए वह जिम्मेदार होगा जो उसने स्थानांतरण में 5 दिन से अधिक लगाया ।
- 19. उस लोक प्राधिकरण का केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी जिसे आवेदन हस्तांतरित किया गया है, इस आधार पर आवेदन के हस्तांतरण को नामंजूर नहीं कर सकता कि उसे आवेदन 5 दिन के भीतर हस्तांतरित नहीं किया गया।
- 20. कोई लोक प्राधिकरण अपने लिए जितने आवश्यक समझे उतने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पदनामित कर सकता है। यह संभव है कि ऐसे लोक प्राधिकरण जिसमें एक से अधिक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी हों, कोई आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी के बजाय किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हो। ऐसे मामले में आवेदन प्राप्त करने वाल केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को इसे संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को यथाशीध, अधिमानतः, उसी दिन हस्तांतरित कर देना चाहिए। हस्तांतरण के लिए पांच दिन की अवधि केवल तभी लागू होती है जब आवेदन एक लोक प्राधिकरण से दूसरे लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है ना कि तब जब हस्तांतरण एक ही प्राधिकरण के एक केन्द्रीय सूचना अधिकारी से दूसरे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को हो।

स्चना की आपूर्ति

21. उत्तर देने वाले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को देखना चाहिए कि मांगी गई सूचना अथवा उसका कोई भाग अधिनियम की धारा 8 अथवा 9 के अन्तर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त तो नहीं है । आवेदन के छूट के अन्तर्गत आने वाले भाग के संबंध में किए गए अनुरोध को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए तथा शेष सूचना तत्काल अथवा अतिरिक्त शुल्क लेने के बाद, जैसा भी मामला हो, मुहैया करवा दी जानी चाहिए ।

पृथक्करण द्वारा आंशिक स्चना की आपूर्ति

22. यदि किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जिसके कुछ भाग को तो प्रकटीकरण से छूट मिली हुई है लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा है जो छूट के अन्तर्गत नहीं आता है और जिसे इस प्रकार पृथक किया जा सके कि पृथक किए हुए भाग में छूट प्राप्त जानकारी नहीं वच पाए, तो जानकारी के ऐसे पृथक किए हुए भाग/रिकार्ड को आवेदक को मुहैया कराया जा सकता है। जहां रिकार्ड के किसी भाग के प्रकटीकरण को इस तरीके से अनुमित दी जाए तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित करना चाहिए कि मांगी गई सूचना को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है तथा रिकार्ड के मात्र ऐसे भाग को पृथक्करण के बाद मुहैया कराया जा प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है तथा रिकार्ड के मात्र ऐसे भाग को पृथक्करण के बाद मुहैया कराया जा रहा है जिसको प्रकटीकरण से छूट प्राप्त नहीं है। ऐसा करते समय, उसे निर्णय के कारण बताने चाहिए। साथ ही उस सामग्री, जिस पर निष्कर्ष आधारित था, का संदर्भ देते हुए सामग्रीगत प्रश्नों पर निष्कर्ष भी बताना चाहिए। इन मामलों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना की आपूर्ति से पहले समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए तथा निर्णय लेने वाले अधिकारी के नाम तथा पदनाम की सूचना भी आवेदक को देनी चाहिए।

स्चना की आपूर्ति के लिए समय अवधि

- 23. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना की आपूर्ति अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कर देनी चाहिए । यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्र्य से हो तो सूचना आवेदन की प्राप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध करना अपेक्षित हैं ।
- 24. प्रत्येक लोक प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक उप प्रभागीय स्तर अथवा अन्य उप जिला स्तर पर केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी पदनामित करे जो अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों अथवा अपीलों को प्राप्त कर सके और उन्हें केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रेषित कर दे। यदि सूचना के लिए कोई अनुरोध केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारि द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 35 दिन के भीतर तथा यदि मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वातंत्र्य से संबंधित हो, तो सूचना अनुरोध प्राप्ति के 48 घंटों जमा 5 दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जानी चाहिए।
 - 25. एक लोक प्राधिकरण से दूसरे लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित किये गए सामान्य आवेदन का उत्तर सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को उसके द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दे देन।

चाहिए । यदि मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वातंत्र्य से संबंधित हो, तो 48 घंटे के भीतर सूचना मुहैया करवा दी जानी चाहिए ।

- 26. इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना तथा सुरक्षा संगठनों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास अष्टाचार तथा मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना के लिए आवेदन आ सकते हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना, जो केन्द्रीय सूचना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही प्रदान की जाती है, अनुरोध प्राप्ति की तारीख के 45 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जानी चाहिए। अष्टाचार के आरोपों से संबंधित सूचना की आपूर्ति करने हेतु निर्धारित समय अविध अन्य मामलों के समरूप ही है।
- 27. यदि आवेदक से अतिरिक्त शुल्क देने को कहा जाता है तो शुल्क के भुगतान के बारे में सूचना के प्रेषण तथा आवेदक द्वारा शुल्क का भुगतान करने के बीच की समय अवधि को उत्तर देने की अवधि के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा । निम्न तालिका में विभिन्न परिस्थितियों में आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा को दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	परिस्थिति	आवेदन का निपटान करने हेतु समय-
 1.	सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति	सीमा
2.	यदि सूचना टयिक के जीवन अथवा स्वातंत्र्य से	30 दिन 48 घंटे
3.	संबंधित हो तो इसकी आपूर्ति यदि आवेदन केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना की आपूर्ति	क्र.सं. 1 तथा 2 पर दर्शायी गई समय अविध में 5 दिन और जोड़ दिए जाएंगे
4.	यदि आवेदन/अनुरोध अन्य लोक प्राधिकरण से स्थानांतरित होने के बाद प्राप्त होते हैं तो सूचना की आपूर्ति	
	(क) सामान्य स्थिति में	(क) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर
	(ख) यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो	(ख) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर

5	• [दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा सूचना	·
!	1	की आपूर्ति	
	ļ	(क) यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार	(क) आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के
		उल्लंघन से हो	भीतर
		(ख) यदि स्चना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों	(ख) आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के
:	: ! i	से हो	भीतर
Γ	-	यदि स्चना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तथा	इन मार्गनिर्देशों के पैरा 32 से 36 में दी
		तीसरी पार्टी ने इसे गोपनीय माना हो तो सूचना	गई प्रक्रिया का पालन करते हुए मुहैया
:		की आपूर्ति	करवाई जाए
-	<i>7</i> .	ऐसी सूचना की आपूर्ति जिसमें आवेदक को	आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में
	,	अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने को कहा गया	्रम्चित करन तथा आवदक धारा
		हो	्र आतारक्त शुल्क क मुगतान पा वाप ना
		bl	अविध को उत्तर देने की दृष्टि से नहीं
		•	गिना जाएगा ।
i			

28. यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी जानकारी के लिए अनुरोध पर निर्धारित समय में निर्णय देने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यह बताना प्रासंगिक होगा कि यदि कोई लोक प्राधिकरण सूचना देने की समय सीमा का पालन नहीं कर पाता है तो संबंधित आवेदक को सूचना बिना शुल्क मुहैया करवाई जानी होगी।

प्रथम अपील

29. अधिनियम द्वारा निर्धारित समयाविध में या तो आवेदक को उसके द्वारा मांगी गई सूचना दे दी जानी चाहिए या उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यदि आवेदक से अतिरिक्त शुल्क तिया जाना अपेक्षित है तो उसे इस सम्बन्ध में सूचना भेजने हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर ही सूचित कर दिया जाना चाहिए। यदि आवेदक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना अथवा अनुरोध के अस्वीकार होने का निर्णय अथवा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान करने की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि अभ्यर्थी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के सूचना देने के सम्बन्ध में अथवा शुल्क की मात्रा के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय से व्यथित हो तो भी वह अपील कर सकता है।

तीसरी पार्टी की स्चना के संदर्भ में अपील

30. इस अधिनियम के संदर्भ में तीसरी पार्टी का तात्पर्य आवेदक से भिन्न अन्य व्यक्ति से हैं। ऐसे लोक प्राधिकरण भी तीसरी पार्टी की परिभाषा में शामिल होंगे जिससे सूचना नहीं मांगी गई है।

. ...

- 31. स्मरणीय है कि वाणिज्यिक गुप्त बातों, व्यावसायिक रहस्यों और बौद्धिक सम्पदा सिहत ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगी स्थिति को क्षिति पहुंचती हो, को प्रकटन से छूट प्राप्त है। धारा 8(1)(घ) के अनुसार यह अपेक्षित है कि ऐसी सूचना को प्रकट न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटन बृहत लोक हित में प्राधिकृत है।
- 32. यदि कोई आवेदक ऐसी स्चना मांगता है जो किसी तीसरी पार्टी से संबंध रखती है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और तीसरी पार्टी ने ऐसी स्चना को गोपनीय माना है, तो केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह स्चना को प्रकट करने अथवा न करने पर विचार करें । ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह होना चाहिए कि यदि प्रकटन से तीसरी पार्टी को सम्भावित हानि की अपेक्षा बृहत्तर लोक हित सधता हो तो प्रकटन की स्वीकृति दे दी जाए बशर्त कि स्चना कानून द्वारा संरक्षित व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्यों से संबन्धित न हो । तथािप, ऐसी स्चना के प्रकटन से पहले नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाया जाए । यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रक्रिया को केवल तभी अपनाया जाना है जब तीसरी पार्टी ने सूचना को गोपनीय माना हो ।
- 33. यदि केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी स्चना को प्रकट करना उचित समझता है तो उसे आवेदन प्राप्ति की तारीख के 5 दिन के भीतर, तीसरी पार्टी को एक लिखित स्चना देनी चाहिए कि स्चना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा स्चना मांगी गई है और कि वह स्चना को प्रकट करना चाहता है। उसे तृतीय पक्ष से निवेदन करना चाहिए कि तृतीय पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से स्चना को प्रकट करने या न करने के संबंध में अपना पक्ष रखे। तृतीय पक्ष को प्रस्तावित प्रकटन, के विरूद्ध प्रतिवेदन करने के लिए दस दिन का समय दिया जाना चाहिए।
- 34. केन्दीय लोक सूचना अधिकारी को चाहिए कि वह तृतीय पक्ष के निवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रकटन के संबंध में निर्णय ले। ऐसा निर्णय सूचना के अनुरोध की प्राप्ति से चालीस दिन के भीतर ले लिया जाना चाहिए। निर्णय लिए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को लिखित में तृतीय पक्ष को अपने निर्णय की सूचना

देनी चाहिए । तृतीय पक्ष को सूचना देते समय यह भी बताना चाहिए कि तृतीय पक्ष को धारा 19 के अधीन अपील करने का हक है ।

- 35. तृतीय पक्ष केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि तृतीय पक्ष प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो, तो वह केन्द्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।
- 36. यदि तृतीय पक्ष द्वारा केन्दीय लोक सूचना अधिकारी के सूचना प्रकट करने के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर की जाती है, तो ऐसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पर निर्णय न ले लिया जाए ।

प्रथम अपील फाइल करने की समय सीमा

37. प्रथम अपील निर्धारित अविध के समाप्त होने अथवा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से संसूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से अपील करने से रोका गया था तो 30 दिनों के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है।

अपील का निपटान

38. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्ध न्यायिक कार्य है। इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्वित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे। इसके लिए अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग ऑडर होना चाहिए जिसमें निर्णय के पक्ष में समुचित तर्क दिए गए हों।

अपील के निपटान के लिए समय सीमा

39. अपील का निपटान अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए । अपवाद के मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकता है । ऐसे मामलों में जिनमें अपील के निपटान में 30 दिन से अधिक

समय लगे, अपीलीय प्राधिकारी को चाहिए कि वह विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करे।

- 40. यदि कोई अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारी दी जानी अपेक्षित है तो वह या तो (i) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए निदेश दे सकता है या (ii) अपीलकर्ता को वह स्वयं जानकारी भेज सकता है। पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाए। हालांकि यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्रवाई का दूसरा रास्ता अपनाए और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दे।
- 41. यदि केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है और अपीलीय प्राधिकारी यह महस्स करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हो । ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्रवाई करें ताकि स्चना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके ।